

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प0 1(50)एमई/ग्रुप-1/1984

जयपुर, दिनांक 21/11/22


आदेश

डॉ. राजेश पाठक, वरिष्ठ आचार्य, फिजियोलोजी विभाग, मेडिकल कॉलेज, अजमेर (जन्म तिथि 13.01.1957) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 31.01.2022 (मध्याह्न पश्चात) से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. राजेश पाठक, वरिष्ठ आचार्य, फिजियोलोजी विभाग, मेडिकल कॉलेज, अजमेर के विरुद्ध आदिनांक तक:-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से


(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर
6. डॉ. राजेश पाठक, वरिष्ठ आचार्य, फिजियोलोजी विभाग जरिये प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
7. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव